न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 19/2002/223 आर टी ए

1. प्रेमवती पत्नि रूपशंकर (फौत)।

1/1 राजेशकुमार दत्तक पुत्र स्व. श्रीमति प्रेमवती पत्नि स्व. रूपशंकर पाण्डे जाति ब्राहम्ण निवासी सूरसागर तालाब के पास हीरा निवासी बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

1/2 शिशिरकान्त पुत्र केशवदत्त अनन्त जाति ब्राहम्ण निवासी सूरसागर तालाब के पास हीरा निवासी बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

1/3 कंचनदेवी पत्नि प्रेमकान्त जाति शर्मा पुत्री रूपशंकर पाण्डे निवास जेलवेल टंकी के पास बीकानेर।

1/4 सज्जन पाण्डे पत्नि टिकननाथ पाण्डे पुत्री रूपशंकर पाण्डे निवासी पाण्डे जी की गली कलश मार्ग जगदीश चौक उदयपुर। ––अपीलांट

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र गोरधन (फौत)।

1/1 बलजीत कौर पत्नि प्यारासिंह (फौत)

1/1/1 बेअन्तसिंह दत्तक पुत्र बलजीत कौर उर्फ जंगीरकौर पत्नि प्यारासिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 5 आरके तहसील टिब्बी।

2. श्रीमति सज्जनदेवी पुत्री स्व. रूपशंकर पत्नि टीकमनाथ पाण्डे पाण्डे जी की गली जगदीश चौक के पास उदयपुर।
3. श्रीमति बसन्तीदेवी पुत्री स्व. रूपशंकर पत्नि महावीरप्रसाद पाण्डे हीरा निवासी सूरसागर तालाब के पास बीकानेर।
4. श्रीमति कंचनदेवी पुत्री स्व. रूपशंकर पत्नि प्रेमकान्त जाति पाण्डे जैलवैल की पानी की टंकी के पास बीकानेर।
5. केसरसिंह पुत्र बिशनसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी ढाणी बिश्नसिंह वाली साईफन के पास तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. गुरदीप सिंह उर्फ अमली पुत्र टहलसिंह निवासी ढाणी बिश्नसिंह वाली साईफन के पास तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. चरनसिंह पुत्र केसरसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी ढाणी बिश्नसिंह वाली साईफन के पास तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. बूटासिंह पुत्र नाम मालूम नही निवासी ढाणी बिश्नसिंह वाली साईफन के पास तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

9. भगवानसिंह पुत्र ना मालूम नही जाति कम्बोजसिख निवासी ढाणी बिश्नसिंह वाली साईफन के पास तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
10. झण्डासिंह पुत्र नाम मालूम नही जाति बावरी निवासी ढाणी बिश्नसिंह वाली साईफन के पास तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
11. सुखदेवसिंह उपनाम देवा पुत्र फतासिं निवासी करीवाला तहसील व जिला सिरसा।
12. जोगेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह जेाति जटसिख निवासी गांव सिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
13. अजायबसिंह पुत्र गंगासिंह जाति जटसिख निवासी गांव सिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। ——तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.12.2001 न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया प्रकरण संख्या 149/88 अनवानी रामचन्द्र बनाम रूपशंकर आदि

उपस्थित :—

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांट सं. 1/1

श्री छगनलाल सिड़ाना अधिवक्ता अपीलांट सं. 1/2

श्री महेन्द्रसिंह संधू अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः—09.07.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 183 आरटीए का पेश कर चक 3 एसआरडब्ल्यू के प.न. 224/277, 224/278 व 223/278 की 10.12 बीघा भूमि के संबंध मे खातेदारी की घोषणा व इस भूमि मे अपीलांट को बेदखली करने का अनुतोष चाहा गया जिसमे प्रतिवादी सं. 1 अपीलांट ने उपस्थित आकर वादपत्र का विरोध किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरचित विवाधको मे से विवाधक सं. 1, 3 ता 8 का निर्णय अपीलांट के विरूद्ध करते हुए रेस्पो0 का वाद घोषणा की हद तक आंशिक रूप से डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्तागण अपीलाण्ट सं. 1/1 व 1/2 ने अपनी बहस में संयुक्त रूप से कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कतई खिलाफ कानून है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवाधक सं. 1 का निर्णय बहक रेस्पो0 सं. 1 करते हुए रेस्पो0 सं. 1 को 8 बीघा 13 बिस्वा व अपीलांट को 1 बीघा 19 बिस्वा का खातेदार होना मानकर कानूनी भूल की है। रेस्पो0 सं. 1 ने प्रश्नगत

भूमि खसरा नं. 14 की होना व गोरधनलाल एवं रूपशंकर के मध्य घरूबंटवारा होना स्वीकार किया है। प्रश्नगत भूमि जो स्व. गोरधनलाल द्वारा तमलीकनामा के जरिये खसरा नं. 14/1 के 11 बीघा 13 बिस्वा के रूप मे रेस्पो0 मे स्वयं को तमलीक होना बयान किया है, के संबंध मे पुष्ट साक्ष्य वादी की ओर से पेश होनी चाहिए थी। वादी रेस्पो0 सं. 1 ने मुरब्बा बन्दी के उपनिवेशन विभाग के संबंधित अभिलेख को प्रस्तुत कर विवाधक सं. 1 को प्राथमिक रूप से सिद्ध नही किया है। रेस्पो0 सं. 1 की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य पेश नही की गई कि प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 14 मिन की 11 बीघा 13 बिस्वा भूमि हो। विवाधक सं. 3 का निर्णय बहक रेस्पो0 सं. 1 करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने तात्विक गलती की है यह निर्विवाद तथ्य है कि विवादित भूमि के संबंध मे रेस्पो0 ने सन् 1977 से ही भू–प्रबन्ध विभाग से साजबाज कर अपने नाम प्रविष्टि करवाई थी जो आदेश अपील मे निरस्त हुआ। इस दौरान वादी द्वारा सिंचाई विभाग व राजस्व विभाग से हासिल किये गये दस्तावेज सत्यतता के नजदीक नही थे व विशेषकर प्रदर्श ए 7 मे वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए रेस्पो0 सं. 1 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय नही थी। अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट के पक्ष मे तस्दीक इंतकाल व खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 से 14 को नजरअदांज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपराधिक न्यायालय के निष्कर्ष को अधिमान देते हुए वादग्रस्त भूमि पर रेस्पो0 सं. 1 का कब्जा मानकर अनुचित व विधि विरूद्ध रूप से निर्णय दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने भूप्रबन्ध विभाग के समक्ष अपीलांट के कथित बयानो को उसकी ओर से स्वीकृति होना मानकर भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नं. 14 की भूमि मे से अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा रेस्पो0 सं. 1 द्वारा ले लेने के बावजूद प्रश्नगत भूमि रेस्पो0 सं. 1 का मानने मे गलती की है। विवाधक सं. 4, 5, 6, 7 व 8 का विचारण अपीलांट के विपक्ष मे कर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने भूप्रबन्ध विभाग के आदेशों के संबंध मे प्रतिपादित कानूनी स्थिति को नजरअंदाज कर उसे मान्यता देकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। सैटलमेंट विभाग को एन्ट्री परिवर्तन करने का अधिकार नही है। अपीलांट प्रेमवती का कब्जा था तथा प्रतिकूल कब्जा के आधाार पर भी खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। जबकि रेस्पो0 रामचन्द्र द्वारा पुराना कब्जा का आधार लिया गया है परन्तु अपीलांट का कब्जा अरर्सा दराज से चला आ रहा है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 1994 पेज 761, आरआरडी 1992 पेज 79, आरआरडी 1993 पेज 44, आरआरडी 1991 पेज 1, आरआरडी 1997 पेज 493, आरबीजे (4) 1997 पेज 257, आरआरडी 1997 पेज 399, आरबीजे 1996 (3) पेज 494, सीसीसी 2012 (3) पेज 850, आरआरडी 1989 पेज 224 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे व वादपत्र रेस्पो0 सं. 1 खारिज किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि चक 3 एसआरडब्ल्यू की 14.06 बीघा भूमि मे से रेस्पो0 रामचन्द्र की 11.13 बीघा व अपीलांट के पति रूपशंकर 2.13 बीघा भूमि के खातेदार थे। उक्त भूमि मे से घघ्घर फल्ड डाइवरजन मे रेस्पो0 रामचन्द्र की 1.01 बीघा भूमि व रूपशंकर की 2.13 बीघा अधिग्रहित हो गयी। रामचन्द्र के पास व कब्जे मे वादग्रस्त 10.12 बीघा रही व रूपशंकर के पास कोई भूमि नही रही। लेकिन भूप्रबन्ध ने उक्त 10.12 बीघा मे रूपशंकर का 39/212 हिस्सा दर्ज कर दिया जो गलत है। इसी लिए रेस्पो0 रामचन्द्र द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय यह माना गया है कि वादग्रस्त भूमि 14.06 बीघा भूमि मे से 11.13 बीघा भूमि रामचन्द्र व 2.13 बीघा भूमि का रूपशंकर सहखातेदार थे। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा वादपत्र मे वर्णित आराजी मे से 173/213 हिस्सा का रामचन्द्र व 39/212 हिस्सा रूपशंकर को खातेदारी दर्ज की थी। प्रेमवती ने जमाबंदी सम्वत 2019 ता 2022, 2023 ता 2026 के इन्द्राजो को सही माना था। इसी भूमि बाबत वादी प्रतिवादी के मध्य भूप्रबन्ध के दौरान भी रिकार्ड मे इन्द्राज बाबत विवाद चला था तथा उक्त विवाद मे भूप्रबन्ध आयुक्त द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.09.78 मे यह निर्णित किया था कि '' जो इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2019 ता 2022, 2023 ता 2026 मे है इसी की के मुताबिक बंदोबस्त रिकार्ड मे भी दर्ज है।'' अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 को 10.12 बीघा का खातेदार नही होना मानकर 8.13 बीघा भूमि का रामचन्द्र को व 1.19 बीघा भूमि का रूपशंकर को सहखातेदार काश्तकार माना गया है। वादग्रस्त आराजी रामचन्द्र की खातेदारी मे थी। नकल जमाबंदी सम्वत 2019 ता 2022 मे भी वादग्रस्त भूमि रामचन्द्र के नाम दर्ज है। पर्चा

लगान मे भी वादग्रस्त आराजी रामचन्द्र के नाम दर्ज है। रेस्पो0 रामचन्द्र ने अपने साक्ष्य मे नकल जमाबंदी सम्वत 2013 ता 2016, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2033, 2028 ता 2031, 2011 ता 2014, नकल बयान प्रेमवती पेश किये गये। इन्ही दस्तावेजात के आधार पर वादी रामचन्द्र को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक होना मानते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो सही है। भूप्रबन्ध विभाग के तत्कालीन अधिकारियों ने भूप्रबन्ध के समय मे जमाबंदी व अन्य भू–अभिलेखो मे जैसी प्रविष्टियां थी, को केवल मात्र यथावत ही रखा है जो विधिसम्मत भी थी तथा कब्जे के भौतिक सत्यापन के आधार पर भी था। भूप्रबन्ध आयुक्त ने निर्णय विधि अनुसार एवं विधिसम्मत रूप से दिया है। भूप्रबन्ध आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 25.09.78 के विरूद्ध अपीलांट प्रेमवती ने माननीय राजस्व मण्डल मे अथवा उच्च न्यायालय मे कोई न्यायिक कार्यवाही नही की एवं मौन साधन दीर्घकाल तक रखा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर सन् 1980 तक रेस्पो0 सं. 1 का कब्जा होना माना है। परन्तु अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किया गया है जबकि वादग्रस्त भूमि मात्र कृषि कार्य हेतु ही दी गई। वादग्रस्त भूमि के कब्जा के बिना ही रेस्पो0 सं. 1/1 बलजीतकौर के पक्ष मे बैयनामा करवाया गया तथा बैयनामे के आधार पर नामान्तरण भी दर्ज हो चुका है और रामचन्द्र के समस्त अधिकार वादग्रस्त भूमि मे बलजीत कौर को हस्तान्तरित हो चुके है। प्रेमवती द्वारा भू–प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान जयपुर के समक्ष दिये गये बयान मे प्रेमवती का वादग्रस्त आराजी मे जो रामचन्द्र का नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, को सही माना है जो प्रदर्श 3 है तथा इसी आधार पर भू–प्रबन्ध आयुक्त द्वारा अपील का निर्णय किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे रामचन्द्र के नाम मुताबिक रिकार्ड बंदोबस्त सही माना है जो प्रदर्श 4 है, इस तरह से प्रेमवती द्वारा न्यायालय के समक्ष किये गये बयानो से इन्कारी नही की जा सकती तथा प्रेमवती के विरूद्ध विबंध का सिद्धांत लागू होता है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस के अन्त मे अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के खण्डन मे कथन किया कि आरआरडी 1994 पेज 761, आरआरडी 1993 पेज 44 उक्त न्यायिक दृष्टांत मे सैटलमेंट डिपार्टमेंट को एन्ट्री परिवर्तन करने का अधिकार न होने बाबत आदेश पारित किया गया जबकि मौजूदा प्रकरण मे सैटलमेंट विभाग द्वारा कोई एन्ट्री बदली नही गई है और ना ही कोई रिकार्ड

प्रेमवती द्वारा पेश किया गया है। आरआरडी 1991 पेज 1, आरआरडी 1997 पेज 493 मे यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है, जबकि मौजूदा प्रकरण मे प्रेमवती द्वारा प्रतिकूल कब्जा के आधार पर कोई कांउटर क्लेम प्रस्तुत नही किया गया, जिस कारण से न्यायिक दृष्टांत चस्पा नही होते है। आरआरडी 1997 पेज 399 मे बिस्वेदारी के तहत हको के निर्धारण बाबत सिद्धांत प्रतिपादित किया है जबकि मौजूदा प्रकरण बिस्वेदारी का नही है। आरबीजे 1996 (3) पेज 493 उक्त न्यायिक दृष्टांत मे यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि वादी, प्रतिवादी की कमी का फायदा नही ले सकता, उसे अपना वाद स्वयं साबित करना पडेगा जबकि वादी द्वारा अपना वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्णतः साबित किया है। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 1979 पेज 1, एआईआर 1956 पेज 114, एआईआर 1990 पेज 128, कर्नाटका आरआरडी 1985 पेज 146, डीएनजे 2010 सुप्रीम कोर्ट 202, आरआरडी 1992 पेज 540 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 183 आरटीए का पेश कर चक 3 एसआरडब्ल्यू के प.न. 224/277, 224/278 व 223/278 की 10.12 बीघा भूमि के संबंध मे खातेदारी की घोषणा व इस भूमि मे से अपीलांट को बेदखली करने का अनुतोष चाहा गया इस वाद मे प्रतिवादी सं. 1 अपीलांट ने उपस्थित आकर वादपत्र का विरोध किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरचित विवाधको विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए रेस्पो0 का वाद घोषणा की हद तक आंशिक रूप से डिक्री किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ने प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 14 की होना व गोरधनलाल एवं रूपशंकर के मध्य घरूबंटवारा होना स्वीकार किया है। प्रश्नगत भूमि जो स्व. गोरधनलाल द्वारा तमलीकनामा के जरिये खसरा नं. 14/1 के 11 बीघा 13 बिस्वा के रूप मे रेस्पो0 मे स्वयं को तमलीक होना बयान किया है, के संबंध मे पुष्ट साक्ष्य वादी की ओर से पेश

होनी चाहिए थी। वादी रेस्पो0 सं. 1 ने मुरब्बा बन्दी के उपनिवेशन विभाग के संबंधित अभिलेख को प्रस्तुत कर विवाधक सं. 1 को प्राथमिक रूप से सिद्ध नही किया है। रेस्पो0 सं. 1 की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य पेश नही की गई। प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 14 मिन की 11 बीघा 13 बिस्वा भूमि हो। विवाधक सं. 2 का निर्णय बहक रेस्पो0 सं. 1 करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने तात्विक गलती की है यह निर्विवाद तथ्य है कि विवादित भूमि के संबंध मे रेस्पो0 ने सन् 1977 से ही भू–प्रबन्ध विभाग से साज कर अपने नाम प्रविष्टि करवाई थी जो आदेश अपील मे निरस्त हुआ। इस दौरान वादी द्वारा सिंचाई विभाग व राजस्व विभाग से हासिल किये गये दस्तावेज सत्यतता के नजदीक नही थे व विशेषकर प्रदर्श ए 7 मे वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए रेस्पो0 सं. 1 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय नही थी। अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट के पक्ष मे तस्दीक इंतकाल व खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 से 14 को नजरअदांज किया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात एवं रेस्पो0 के कथनानुसार वादग्रस्त आराजी रामचन्द्र की खातेदारी भूमि थी। जमाबंदी सम्वत 2016 चक 3 एसआरडब्ल्यू से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि कुल 14.06 बीघा भूमि मे से 11.13 बीघा रामचन्द्र व 2.13 बीघा भूमि रूपशंकर के नाम दर्ज थी। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा वादग्रस्त आराजी मे से 173/213 हिस्सा रामचन्द्र व 39/212 हिस्सा रूपशंकर के नाम खातेदारी दर्ज की थी। प्रेमवती ने जो बयान भूप्रबन्ध आयुक्त के न्यायालय पेश किये जिसके अनुसार प्रेमवती ने उक्त भूमि जमाबंदी सम्वत 2019 से 2022, 2023 ता 2026 के इन्द्राजो को सही माना था। वादग्रस्त भूमि रामचन्द्र के नाम दर्ज है। पर्चा लगान मे भी वादग्रस्त आराजी रामचन्द्र के नाम दर्ज है।

6. जहां तक वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होने का तर्क है, तो अपीलांट प्रेमवती ने वादग्रस्त भूमि पर रेस्पो. रामचन्द व अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रेमवती को जबरदस्ती बाहर निकालने व मारपीट का इस्तगासा था उक्त इस्तगासे मे पारित निर्णय दिनांक 19.02.86 द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह माना है कि ''तथाकथित घटना के वक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा मुल्जिम रामचन्द का था तथा मुस्तगिस को उक्त जमीन पर प्रवेश करने का कोई अधिकार नही था।'' इस प्रकार यह साबित है कि वादग्रस्त भूमि पर रेस्पो0 रामचन्द कब्जा चला आ रहा है। भूप्रबन्ध विभाग के तत्कालीन अधिकारियों ने भूप्रबन्ध के समय मे जमाबंदी व अन्य भू–अभिलेखो मे जैसी प्रविष्टियां थी, को

केवल मात्र यथावत ही रखा है जो विधिसम्मत भी थी तथा कब्जे के भौतिक सत्यापन के आधार पर भी था। भूप्रबन्ध आयुक्त ने निर्णय विधि अनुसार एवं विधिसम्मत रूप से दिया है। भूप्रबन्ध आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 25.09.78 के विरूद्ध अपीलांट प्रेमवती ने माननीय राजस्व मण्डल मे अथवा उच्च न्यायालय मे कोई न्यायिक कार्यवाही नही की। न्यायालय भूप्रबन्ध आयुक्त जयपुर के समक्ष हुए बयान गवाह मे प्रेमवती ने यह माना है कि ''रामचन्द्र के वकील के ने जो जमाबंदी सम्वत 2019 ता 2022 व 2023 से 2026 की प्रतिलिपि पेश की है वह सही है और उनमे जो कॉलम नम्बर 5 मे लिखा है कि रामचन्द्र पुत्र गोरधन रकबा 11.13 व रूपशंकर पुत्र हीरालाल रकबा 2.13 बीघा रकबा है वह भी ठीक है।'' प्रेमवती की मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमि का बैचान रेस्पो0 बलजीत कौर को किया गया। जिसके संबंध मे अपीलांट का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि जब प्रेमवती के कब्जा मे थी और उसकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि उसके वारिसान के कब्जा मे आ गई। उक्त तर्क के संबंध मे रेस्पो0 अधिवक्ता न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1979 पेज 1, एआईआर 1956 पेज 114, एआईआर 1990 पेज 128, आरआरडी 1985 पेज 146 प्रस्तुत किये है जिसके अनुसार बैयनामा बिना कब्जे के भी किया जा सकता है। वादग्रस्त भूमि आराजी पर प्रेमवती का कब्जा काश्त था तथा प्रेमवती सन् 2002 मे फौत हो चुकी है जिससे प्रेमवती का कब्जा नही रहा है तथा कब्जा वारिसान को हस्तान्तरित नही हो सकता। बैयनामे के आधार पर नामान्तरण भी दर्ज हो चुका है बैयनामा से पूर्व जो अधिकार वादग्रस्त भूमि पर रामचन्द्र को प्राप्त थे वह अधिकार रेस्पो0 बलजीत कौरको प्राप्त हो चुके है।

7. भूप्रबन्ध विभाग के तत्कालीन अधिकारियों ने भूप्रबन्ध के समय मे जमाबंदी व अन्य भू–अभिलेखो मे जैसी प्रविष्टियां थी, को केवल मात्र यथावत ही रखा है जो विधिसम्मत भी थी तथा कब्जे के भौतिक सत्यापन के आधार पर भी था। भूप्रबन्ध आयुक्त ने निर्णय विधि अनुसार एवं विधिसम्मत रूप से दिया है। भूप्रबन्ध आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 25.09.78 के विरूद्ध अपीलांट प्रेमवती ने माननीय राजस्व मण्डल मे अथवा उच्च न्यायालय मे कोई न्यायिक कार्यवाही नही की। न्यायालय भूप्रबन्ध आयुक्त जयपुर के समक्ष हुए बयान गवाह मे प्रेमवती द्वारा न्यायालय के समक्ष किये गये बयानो से इन्कारी नही की जा सकती है तथा प्रेमवती के विरूद्ध विवंधन का

सिद्धांत लागू होता है। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण मे पूर्णतया चस्पा होते है।

8. अधिवक्ता अपीलांट का बहस के दौरान मुख्यतया तर्क यह है कि रेस्पो0/वादी रामचन्द्र द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे वाद विचाराधीन रहने के दौरान भूमि का बैचान कब्जा नही होने के बावजूद भी पंजीकृत विक्रय पत्र से किया है इस विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पो0 सं. 1/1 बलजीतकौर को उक्त अपील मे चाराजोई करने की अधिकारिता नही है जबकि अपील मे अपीलांट सं0 1/1 व 1/2 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित आदेश 41 नियम 20 सीपीसी दिनांक 24.04.09 को अन्तरिती/क्रेता बलजीतकौर को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 29.04.09 को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए क्रेता बलजीत कौर को बतौर रेस्पो0 सं. 1 अ के रूप मे पक्षकार संयोजित किया गया है इस आदेश का अपीलांट द्वारा अब विरोध किया जाना विधिपूर्ण नही होने के कारण अपीलांट का तर्क स्वीकार योग्य नही है। अपीलांट के अभिभाषकगण द्वारा अपील के पक्ष मे दूसरा मुख्य तर्क यह जाहिर किया है कि रेस्पो0 रामचन्द्र द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद विचाराधीन रहने के दौरान बिना कब्जा वादग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण किया गया है जो सम्पति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 52 के प्रावधानो के अन्तर्गत विधिक रूप से प्रभावहीन है। जबकि न्यायिक दृष्टांत सिविल कोर्ट केसेज 2012(3) पेज 850 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि का वाद के विचाराधीन रहने के दौरान किये गये हस्तान्तरण शून्य नही होता है बल्कि वाद के निस्तारण के फलस्वरूप विक्रेता को प्राप्त स्वामित्व/अधिकारो के अध्यधीन होगा। प्रस्तुत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विक्रेता रामचन्द्र के पक्ष मे 8.13 बीघा भूमि के संबंध मे अधिकारो की घोषणा की गई है। इसलिये उक्त घोषणा की सीमा तक किये गये हस्तान्तरण से क्रेता को भी विक्रेता के समतुल्य अधिकार प्राप्त है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1994 पेज 761, आरआरडी 1993 पेज 44 के अनुसार सैटलमेंट डिपार्टमेंट को राजस्व अभिलेख मे स्वामित्व अधिकार संबंधी प्रविष्टि/इन्द्राज को परिवर्तन करने का अधिकार न होने बाबत आदेश पारित किया गया जबकि मौजूदा प्रकरण मे सैटलमेंट विभाग के सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी द्वारा जारी

पर्चा लगान मे रेस्पो0 रामचन्द्र के नाम के इन्द्राज की पुष्टि भूप्रबन्ध आयुक्त के न्यायालय द्वारा भी की जा चुकी है।

9. प्रस्तुत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पो0 रामचन्द्र द्वारा 10.12 बीघा भूमि की घोषणा चाही गई थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी सम्वत 2016 एवं उसके पश्चात के राजस्व अभिलेख के प्रविष्टियों एवं घघ्घर फल्ड मे अवाप्त भूमि संबंधी तथ्यों एवं मौके की स्थिति के अनुसार 10.12 बीघा के स्थान पर 8.13 बीघा भूमि की घोषणा वाद मे विरचित तनकी सं. 1 के निष्कर्ष के अनुसार वादी रामचन्द्र के पक्ष मे तथा 1.19 बीघा भूमि की घोषणा प्रतिवादी सं. 2 प्रेमवती के पक्ष मे की गई है। आरआरडी 1991 पेज 1, आरआरडी 1997 पेज 493 मे यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है, जबकि मौजूदा प्रकरण मे प्रेमवती द्वारा प्रतिकूल कब्जा के आधार पर कोई कांउटर क्लेम प्रस्तुत नही किया गया। आरआरडी 1997 पेज 399 मे बिस्वेदारी के तहत हको के निर्धारण बाबत सिद्धांत प्रतिपादित किया है जबकि मौजूदा प्रकरण बिस्वेदारी का नही है। आरबीजे 1996 (3) पेज 493 उक्त न्यायिक दृष्टांत मे यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि वादी, प्रतिवादी की कमी का फायदा नही ले सकता, उसे अपना वाद स्वयं साबित करना पडेगा जबकि वादी द्वारा अपना वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्णतः साबित किया है। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण मे चस्पा नही होते है।

10. इस प्रकार यह साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि शुरू से ही रामचन्द्र के नाम दर्ज रही है और इसी के कब्जा काश्त मे रही है। भूप्रबन्ध विभाग के तत्कालीन अधिकारियों ने भूप्रबन्ध के समय मे जमाबंदी व अन्य भू–अभिलेखो मे जैसी प्रविष्टियां थी, को केवल मात्र यथावत ही रखा है जो विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्रकरण मे तनकीयात कायम करते हुए तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए वादी/रेस्पो0 रामचन्द्र द्वारा चाही गई इस्तदुआ 10.12 बीघा के स्थान पर जमाबंदी सम्वत 2016 एवं उसके पश्चात के राजस्व अभिलेख के प्रविष्टियों एवं घघ्घर फल्ड मे अवाप्त भूमि संबंधी तथ्यों एवं मौके की स्थिति के अनुसार 8.13 बीघा भूमि की घोषणा वादी रामचन्द्र के पक्ष मे तथा 1.19 बीघा भूमि की घोषणा प्रतिवादी सं. 2 प्रेमवती के पक्ष मे की गई है जिसमे किसी प्रकार प्रक्रियात्मक/विधिक त्रुटि प्रकट नही होने के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कारण हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

11. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनवानी प्रकरण रामचन्द्र बनाम रूपशंकर आदि प्रकरण संख्या 149/88 मे पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.12.2001 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0
अपील संख्या – 19/2002/223 आर टी ए

1. प्रेमवती पत्नि रूपशंकर (फौत)।

1/1 राजेशकुमार दत्तक पुत्र स्व. श्रीमति प्रेमवती पत्नि स्व. रूपशंकर पाण्डे जाति ब्राहम्ण निवासी सूरसागर तालाब के पास हीरा निवासी बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

1/2 शिशिरकान्त पुत्र केशवदत्त अनन्त जाति ब्राहम्ण निवासी सूरसागर तालाब के पास हीरा निवासी बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

1/3 कंचनदेवी पत्नि प्रेमकान्त जाति शर्मा पुत्री रूपशंकर पाण्डे निवास जेलवेल टंकी के पास बीकानेर।

1/4 सज्जन पाण्डे पत्नि टिकननाथ पाण्डे पुत्री रूपशंकर पाण्डे निवासी पाण्डे जी की गली कलश मार्ग जगदीश चौक उदयपुर। ––अपीलांट

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र गोरधन (फौत)।

1/1 बलजीत कौर पत्नि प्यारासिंह (फौत)

1/1/1 बेअन्तसिंह दत्तक पुत्र बलजीत कौर उर्फ जंगीरकौर पत्नि प्यारासिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 5 आरके तहसील टिब्बी।

2. श्रीमति सज्जनदेवी पुत्री स्व. रूपशंकर पत्नि टीकमनाथ पाण्डे पाण्डे जी की गली जगदीश चौक के पास उदयपुर।
3. श्रीमति बसन्तीदेवी पुत्री स्व. रूपशंकर पत्नि महावीरप्रसाद पाण्डे हीरा निवासी सूरसागर तालाब के पास बीकानेर।
4. श्रीमति कंचनदेवी पुत्री स्व. रूपशंकर पत्नि प्रेमकान्त जाति पाण्डे जैलवैल की पानी की टंकी के पास बीकानेर।
5. केसरसिंह पुत्र बिशनसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी ढाणी बिश्नसिंह वाली साईफन के पास तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. गुरदीप सिंह उर्फ अमली पुत्र टहलसिंह निवासी ढाणी बिश्नसिंह वाली साईफन के पास तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. चरनसिंह पुत्र केसरसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी ढाणी बिश्नसिंह वाली साईफन के पास तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. बूटासिंह पुत्र नाम मालूम नही निवासी ढाणी बिश्नसिंह वाली साईफन के पास तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

9. भगवानसिंह पुत्र ना मालूम नही जाति कम्बोजसिख निवासी ढाणी बिश्नसिंह वाली साईफन के पास तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
10. झण्डासिंह पुत्र नाम मालूम नही जाति बावरी निवासी ढाणी बिश्नसिंह वाली साईफन के पास तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
11. सुखदेवसिंह उपनाम देवा पुत्र फतासिं निवासी करीवाला तहसील व जिला सिरसा।
12. जोगेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह जेाति जटसिख निवासी गांव सिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
13. अजायबसिंह पुत्र गंगासिंह जाति जटसिख निवासी गांव सिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। —— रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.12.2001 न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया प्रकरण संख्या 149/88 अनवानी रामचन्द्र बनाम रूपशंकर आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांट सं. 1/1, श्री छगनलाल सिड़ाना अधिवक्ता अपीलांट सं. 1/2 एवं श्री महेन्द्रसिंह संधू अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनवानी प्रकरण रामचन्द्र बनाम रूपशंकर आदि प्रकरण संख्या 149/88 मे पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.12.2001 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 09.07.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not O